


**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)**  
**DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING**  
**(DEVELOPMENT DEPARTMENT)**  
**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**49, SHAMNATH MARG, OLD SECRETARIAT, DELHI-110054.**

Dated: the 10/12/2015

**NOTIFICATION**

No. F.8/23/2001/DAM/MR/Vol.-III/ 3096 . – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No.7 of 1999) and in supersession of the notification dated the 28<sup>th</sup> May, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby reconstitutes the Delhi Agricultural Marketing Board consisting of the following persons, with immediate effect, namely:-

- A. Sh. Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development : Chairman
- B. The seven official members shall be as under:-
- (i) Director of Agricultural Marketing Delhi Ex-officio Vice-Chairman of the Board. : Member
  - (ii) One representative of the Development Department of the Government from Agriculture wing. : Member
  - (iii) One representative from Cooperative. : Member
  - (iv) One representative from Department of Food Supplies and Consumer Affairs of the Government not below the rank of Deputy Commissioner. : Member
  - (v) One representative from the Delhi Development Authority, who shall belong to Planning wing. : Member
  - (vi) One representative from North Municipal Corporation of Delhi (NDMC), who shall belong to Planning wing. : Member
  - (vii) The Agricultural Marketing Advisor to Government of India or his nominee. : Member
- C. The non-official members shall be as under:-
- (i) Two agriculturists being members of the market committees. : To be nominated later. : Member
  - (ii) Two members representing organizations of agriculturists. : 1. Sh. Zafar Alam, 181, Gali No.1, Kardampuri Extn., Delhi- 94 : Member  
: 2. Sh. Ajay Singh Bhadwal, DA-620, Shishmahal Appt., Shalimar Bagh, Delhi-110088. : Member
  - (iii) One member to be elected in the prescribed manner from the traders and commission agents licensed under section 80. : Sh. Rajinder Kumar Sharma BE-58, Shalimar Bagh, Delhi. : Member

  
10.12.15

- : 2 : -

- (iv) One member representing the Co-operative Societies which are marketing in agricultural produce. : Sh. Ram Baran, 64-B, BC-Block, East Shalimar Bagh, Delhi. : Member
- (v) Two members representing the interests of consumers, of whom one shall be a member of the Legislative Assembly of Delhi. : 1. Sh. Adeel Ahmad Khan, 2/9A, II Floor, Jangpura-A, Delhi. : Member
- : 2. Sh. Ajesh Yadav, MLA 45, Libaspur, Delhi-110042. : Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi further directs that the non-official members shall hold office for five years as provided under section 7 of the said Act, except Sh. Rajinder Kumar Sharma, who was nominated vide notification no. F.8 (43)/2010-DAM/MR/8994 dated the 2<sup>nd</sup> June, 2011 and whose five years term will come to an end on 1<sup>st</sup> June, 2016.

The Chairman, the Vice-Chairman and the official members shall hold office during the pleasure of the Government.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF THE  
LT. GOVERNOR OF THE NATIONAL  
CAPITAL TERRITORY OF DELHI,**

  
(V. P. RAO)  
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI.

- : 3 : -

No. F.8/23/2001/DAM/MR/Vol.-III/ 3097-3111

Dated: 10/12/15

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.

  
(V. P. RAO)  
SPECIAL SECRETARY (DEVELOPMENT)  
GOVERNMENT OF NCT OF DELHI

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग-4 में प्रकाशनार्थ)  
कृषि विपणन निदेशालय  
(विकास विभाग)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
49, शाननाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

दिनांक : 10/12/15

अधिसूचना

सं0 फा0 8/23/2001/डीएम/एमआर/खण्ड-3/3096 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल, दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1998) की धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2007 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जो इस अधिक्रमण से पहले ही किए या नहीं किए जा चुके हैं, एतद्वारा दिल्ली कृषि विपणन परिषद का तुरन्त प्रभाव से पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात:-

- क. श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री : अध्यक्ष
- ख. निम्नलिखित सात सरकारी सदस्य होंगे:-
- (i) निदेशक, कृषि विपणन दिल्ली, एक्स-ऑफिसियो उपाध्यक्ष परिषद। : सदस्य
- (ii) एक प्रतिनिधि सरकार के विकास विभाग कृषि विंग से। : सदस्य
- (iii) एक प्रतिनिधि सहकारिता से। : सदस्य
- (iv) एक प्रतिनिधि सरकार के खाद्य, सम्मरण एवं उपभोक्त मामलों से जो कि उपायुक्त से कम न हो। : सदस्य
- (v) एक प्रतिनिधि दिल्ली विकास प्राधिकरण से जो कि योजना विंग सें हो। : सदस्य
- (vi) एक प्रतिनिधि उत्तरी दिल्ली नगर निगम से जो कि योजना विंग सें हो। : सदस्य
- (vii) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार या उनका प्रतिनिधि। : सदस्य
- ग. निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्य होंगे:-
- (i) दो कृषक जो कि विपणन समिति के सदस्य हैं। : बाद में मनोनित किया जायेगा। : सदस्य
- (ii) दो सदस्य कृषक संगठनों के प्रतिनिधि। : 1. श्री जफर आलम : सदस्य  
181, गली नं0 1, करदमपुरी  
एक्स., दिल्ली-94
2. श्री अजय सिंह भडवाल, : सदस्य  
डीए-620, शीश महल  
अपार्ट., शालीमार बाग,  
दिल्ली-110088.
- (iii) धारा 80 के तहत लाईसंससुदा व्यापारियों और : श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : सदस्य  
कमीशन एजेंट में से एक सदस्य जोकि उचित  
प्रक्रिया द्वारा निर्वाचित है। : बीई-58, शालीमार बाग,  
दिल्ली.
- (iv) सहकारी समितियों जो कि कृषि विपणन का कार्य : श्री राम बरन : सदस्य  
करती हैं का एक प्रतिनिधि। : 64-बी, बीसी ब्लाक, पूर्वी  
शालीमार बाग, दिल्ली।
- (v) दो सदस्य उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि जिनमें : 1. श्री आदिल अहमद खान : सदस्य  
से एक दिल्ली विधान सभा का सदस्य होगा। : 2/9ए, द्वितीय तल,  
जंगपुरा-ए, दिल्ली।

  
10.12.15

- : 2 : -

2. श्री अजेश यादव, विधायक : सदस्य  
45, लिबासपुर,  
दिल्ली-110042

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल आगे निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप, गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए होगा, सिवाय श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा के जो कि अधिसूचना संख्या फा0 8(43)/2010-डीएएम/एमआर/894 दिनांक 2 जून, 2011 के द्वारा पांस साल के लिए मनोनित किए गये थे और उनका कार्यकाल 1 जून, 2016 को समाप्त होगा।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सदस्य सरकार की इच्छा पर्यन्त अपने पदों पर बने रहेंगे।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,


( वी. पी. राव )

विशेष सचिव (विकास)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि:-

- १ सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- २ कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- ३ प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- ४ प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- ५ प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, ५/९, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- ६ सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- ७ स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- ८ अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- ९ उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्दप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-४ में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- १० कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, और पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- ११ उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- १२ हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- १३ निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- १४ संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- १५ गार्ड फाईल।

  
( वी. पी. राव )  
विशेष सचिव (विकास)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार